UPEW010033872026

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–12/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे० अधिनियम), इटावा।**

**उपस्थितः श्री अशोक कुमार दुबे–II (J.O.Code NO.U.P.1643)........ एच.जे.एस**

**जमानत प्रार्थनापत्र सं0 1061/2026**

राजपाल सिंह उर्फ गामा उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र अहिवरन सिंह, निवासी ग्राम इंगुरी, थाना–लवेदी, जिला इटावा।

––– आवेदक/अभियुक्त

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य।

––– विपक्षी।

विशेष वाद संख्या–185/2018
मु०अ०सं०–269/2018
धारा–420,394,170,411 भा०दं०सं०
थाना–बकेवर, जिला–इटावा।

**दिनांक–01.06.2026**

**1.** यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त राजपाल सिंह उर्फ गामा की ओर से विशेष वाद संख्या–185/2018 मु०अ०सं०–269/2018 अन्तर्गत धारा–420,394,170,411 भा०दं०सं०, थाना–बकेवर, जनपद इटावा में मय शपथपत्र निखिल चौहान प्रस्तुत किया गया है।

**2.** आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी गुजरात में टूरिस्ट कम्पनी में बस चालक है। प्रार्थी सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। उक्त मामले में प्रार्थी दिनांक–16.05.2026 से जिला कारागार इटावा में निरूद्ध है। प्रार्थी पुनः जमानत देने को तैयार है। अतः उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।



Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.06.01 13:06:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**3.** विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

**4.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना एवं थाने से प्रस्तुत आख्या एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

**5.** पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त के न्यायालय उपस्थित न आने पर उसके विरूद्ध बिना जमानतीय अधिपत्र जारी किये। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण न्यायालय नहीं आ सका और उसके विरूद्ध बिना जमानतीय वारण्ट जारी हो गयी। अभियुक्त को पुलिस द्वारा पकड़ कर बिना जमानतीय वारण्ट के निष्पादन में दिनांक 16.05.2026 को जिला कारागार इटावा में निरूद्ध कर दिया गया, तब से अभियुक्त जेल में ही निरूद्ध है।

**6.** अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अभियुक्त पूर्व में जमानत था, अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजपाल सिंह उर्फ गामा की ओर से विशेष वाद संख्या–185/2018 मु०अ०सं०–269/2018 अन्तर्गत धारा–420,394,170,411 भा०दं०सं०, थाना–बकेवर, जिला–इटावा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुवलिग 50,000/– रूपये का स्वबंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा को जरिये ई–मेल प्रेषित किया जाए।

दिनांक 01.06.2026

**(अशोक कुमार दुबे–II)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–12
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे० अधि०), इटावा।
J.O.Code NO.U.P.1643